

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)-सीकर

उनवान- सांवरमल बनाम बजरंग लाल आदि
किस्म मुकदमा- आवेदन पत्र अ0 धारा 212 राज0का0अधि01955 मु.नं0- 11 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र
04.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नही आने पर उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।</p> <p>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर वकील प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ग्राम गोवटी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 3.1000 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादी सांवरमल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया। जिसमें मुख्य रूप से उद्घोषणा, बंटवारा का अनुनोष चाहा गया हैं। मूल वाद में साक्ष्य, सबूत आदि लेने के बाद निर्णय संभव होगा। ऐसीस्थिति में मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को ग्राम गोवटी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 3.1000 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी सांवरमल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता हैं तथा मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण ग्राम गोवटी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 3.1000 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने रखे। यह आदेश किसी प्रकार के रास्ते की भूमि पर एवं विधूत कनेक्शन के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">le सहायक कलक्टर (मु0)सीकर</p>